

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10
2021

लखनऊ: दिनांक 09 जून,

विषय:- दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, पंजीकृत श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, कुली, पल्लेदार, नाविक, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि रोज कमाकर खाने वालों को प्रति परिवार रू० 1,000/- की धनराशि प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ता प्रदान किए जाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग-11 के पत्र संख्या-347/एक-11-2021-4(जी)/2015टीसी-2, दिनांक 18.05.2021 एवं पत्र संख्या 388/एक-11-2021-4(जी)/2015 टीसी-2, दिनांक 07.06.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) द्वितीय लहर से उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत शासन द्वारा लिए गए निर्णयानुसार दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, पंजीकृत श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, कुली, पल्लेदार, नाविक, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि रोज कमाकर खाने वालों को प्रति परिवार रू० 1,000/- की धनराशि प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू० 1,61,33,93,000/- (रू० एक अरब इकसठ करोड़ तैंतीस लाख तिरानवे हजार मात्र) की धनराशि अग्रिम रूप से सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(धनराशि लाख रू० में)

SI	District	N0. of Rehdi, Khomcha etc	N0. of Migrants	Total beneficiaries	Amount Alloted
1	Agra	32918	1038	33956	339.56
2	Aligarh	67548	4011	71559	715.59
3	Ambedkar Nagar	12790	15505	28295	282.95
4	Amethi	10629	2353	12982	129.82
5	Amroha	14730	323	15053	150.53
6	Auraiya	7885	844	8729	87.29
7	Ayodhya	13261	4053	17314	173.14
8	Azamgarh	23525	8476	32001	320.01

9	Baghpat	2932	2	2934	29.34
10	Bahraich	18975	8213	27188	271.88
11	Ballia	8801	19191	27992	279.92
12	Balrampur	4690	6983	11673	116.73
13	Banda	16282	2731	19013	190.13
14	Barabanki	11008	2644	13652	136.52
15	Bareilly	29675	4493	34168	341.68
16	Basti	9079	9262	18341	183.41
17	Bhadohi/SANT RAVIDAS NAGAR	14624	8592	23216	232.16
18	Bijnor	10263	532	10795	107.95
19	Badaun	20491	1265	21756	217.56
20	Bulandshahar	21001	1476	22477	224.77
21	Chandauli	2994	2645	5639	56.39
22	Chitrakoot	4536	3431	7967	79.67
23	Deoria	37585	24103	61688	616.88
24	Etah	10508	1792	12300	123.00
25	Etawah	1900	1015	2915	29.15
26	Farrukhabad	12130	449	12579	125.79
27	Fatehpur	4219	1447	5666	56.66
28	Firozabad	26825	552	27377	273.77
29	Gautam Buddha Nagar	5806	0	5806	58.06
30	Ghaziabad	21795	0	21795	217.95
31	Ghazipur	20235	3698	23933	239.33
32	Gonda	7579	12951	20530	205.30
33	Gorakhpur	21934	14456	36390	363.90
34	Hamirpur	5008	1189	6197	61.97
35	Hapur	14041	167	14208	142.08
36	Hardoi	34480	4782	39262	392.62
37	Hathras/MAH AMAYA NAGAR	5046	1005	6051	60.51
38	Jalaun	6598	1894	8492	84.92
39	Jaunpur	14060	40888	54948	549.48
40	Jhansi	15615	3240	18855	188.55
41	Kannauj	6335	382	6717	67.17
42	Kanpur Dehat	20924	1216	22140	221.40
43	Kanpur Nagar	25583	808	26391	263.91
44	Kasganj/KAN SHI RAM NAGAR	10905	1297	12202	122.02
45	Kaushambi	15945	1629	17574	175.74
46	Kheri	13635	2910	16545	165.45
47	Kushinagar	23841	3378	27219	272.19
48	Lalitpur	4846	562	5408	54.08
49	Lucknow	39407	1197	40604	406.04
50	Maharajganj	23933	13897	37830	378.30
51	Mahoba	7605	2617	10222	102.22
52	Mainpuri	4247	962	5209	52.09
53	Mathura	19782	743	20525	205.25
54	Mau	13330	2990	16320	163.20

55	Meerut	40354	11	40365	403.65
56	Mirzapur	11127	6683	17810	178.10
57	Moradabad	11708	987	12695	126.95
58	Muzaffarnagar	29851	50	29901	299.01
59	Pilibhit	11327	1068	12395	123.95
60	Pratapgarh	14375	3950	18325	183.25
61	Prayagraj	58053	10885	68938	689.38
62	Raebareli	15084	7407	22491	224.91
63	Rampur	12391	497	12888	128.88
64	Saharanpur	36969	239	37208	372.08
65	Sambhal	9270	835	10105	101.05
66	Santkabirnagar	4803	14868	19671	196.71
67	Shahjahanpur	20591	420	21011	210.11
68	Shamli	10660	103	10763	107.63
69	Shravasti	14822	3170	17992	179.92
70	Siddharthnagar	15680	13015	28695	286.95
71	Sitapur	13367	2479	15846	158.46
72	Sonbhadra	10129	1053	11182	111.82
73	Sultanpur	4456	10546	15002	150.02
74	Unnao	15751	2538	18289	182.89
75	Varanasi	57988	3235	61223	612.23
	Total	1273075	340318	1613393	16133.93

(रु० एक अरब इकसठ करोड़ तैंतीस लाख तिरानवे हजार मात्र)

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने पर पूर्ण औचित्य/कारण दर्शाते हुए धनराशि की मांग की जा सकती है।
- (2) भरण पोषण भत्ता का वितरण किये जाने की कार्यवाही शासन द्वारा निर्धारित तिथि/तिथियों को की जायेगी। अतः उक्त आवंटित/स्वीकृत धनराशि का वितरण अभी न किया जाय। वितरण किये जाने की तिथि व समय को यथा-समय सूचित किया जायेगा।
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2022 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

- (7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2 - उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू0 1,61,33,93,000/- (रू0 एक अरब इकसठ करोड़ तैंतीस लाख तिरानवे हजार मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,


(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या- 1017 (1)/एक-10-2021-33(36)/2018 टीसी, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 6- समस्त जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(रणवीर प्रसाद)
सचिव।